कॉगड़ा हवाई अड्डा विस्तारीकरण पर एस0आई0ए0 स्टडी पर बहु–आयामी विशेषज्ञ समूह की मुल्यांकन रिपोर्ट।

प्रस्तुत

पर्यटन एक नागरिक उडडयन विभाग

हिमाचल प्रदेश सरकार।

विशष सूची

1	पृष्टभूमि	पृष्ट संख्या
2	विशेषज्ञ समूह का गठन	1
3	विशेषज्ञ समूह का शासनादेश	4
4	मुल्यांकन प्रकिया के माप दंड	5
5	निष्कर्ष व शिफारिशें	17
6	निष्कर्ष	20
7	अनुलग्नक 1,2,3	23

1. पृष्ठभूमि

कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जिला है। जिला कांगड़ा की अर्थव्यवस्था कृषि, कांगड़ा चाय, खट्टे फल, लघु व्यवसाय और पर्यटन द्वारा समर्थित है। साहसिक पर्यटन, धार्मिक और विरासत पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, खेल पर्यटन और स्वास्थ्य पर्यटन के माध्यम से पर्यटन कांगड़ा की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दुनिया भर के पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर रहा है। धर्मशाला में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है, जहॉ राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल मैच खेले जाते हैं। धर्मशाला सबसे अधिक देखा जाने वाला पर्यटन स्थल है और यहॉ तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु–दलाई लामा के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। कांगड़ा के अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में पालमपुर, सुंदर चाय बागानों और धौलाधार के राजसी दृश्य के लिए प्रसिद्ध, बीर बिलिंग–पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध, पौंग रामसर स्थल–प्रवासी–पक्षियों और धार्मिक मंदिरों और विरासत स्थलों के लिए

प्रसिद्ध हैं, जो कांगड़ा के आसपास स्थित हैं और जहां कांगड़ा हवाई अड्डा में उतरने वाले पर्यटकों द्वारा आसानी से संपर्क किया जा सकता है। कांगड़ा के अधिकांश लोग अपने परिवार की आय कृषि क्षेत्र से अर्जित कर रहे हैं और कृषि उपज लोगों की आजीविका की जरूरतों को पूरा करने में सहायक है। फिर भी, समृद्ध–अर्थव्यवस्थाओं के मानकों के अनुसार प्रति परिवार औसत आय अधिक नहीं है। इसे देखते हुए पर्यटन और नागरिक उडडयन क्षेत्र एकमात्र गेम चेंजर सेक्टर जो लोगों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में एक आदर्श बदलाव ला सकता है। लेकिन इस क्षेत्र के विकास में प्रमुख बाधा उचित, भरोसेमंद, सुरक्षित और तेज परिवहन प्रणाली की कमी है। वर्तमान में इंडिगो, टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी नागरिक उड्डयन कंपनियों की सीमित उड़ानें दिल्ली–कांगड़ा और कांगड़ा–चंडीगढ़ मार्गों पर सीमित संख्या में पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों को ले जा रही हैं, क्योंकि बड़े विमान रनवे छोटा और लोड पनैल्टी के कारण कांगड़ा हवाई अड्डे पर नहीं उतर सकते हैं। नतीजतन, अधिकांश पर्यटकों, स्थानीय यात्रियों, बीमार व्यक्तियों और छात्रों के लिए हवाई किराया अधिक और वहन योग्य नहीं है, जिन्हें स्वास्थ्य आपात स्थिति, शिक्षा और व्यवसाय की जरूरतों के मध्य नजर चंडीगढ़, शिमला और नई दिल्ली जैसे विभिन्न गंतव्यों की यात्रा करने की आवश्यकता पडती है। पर्यटन की अपार संभावनाओं, सामरिक महत्व और बढ़ती रक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार कांगड़ा जिले में विश्व स्तरीय विमानन सुविधाएं सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मार्च, 2021 में एएआई द्वारा किए गए ओ एल एस सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के तहत पहले चरण के तहत 1370 मीटर से 1920 मीटर और दूसरे चरण के तहत 1920 मीटर से 3110 मीटर तक मौजूदा रनवे की लंबाई को बढ़ाया जाने का प्रस्ताव है ताकि लोड पेनल्टी को कम किया जा सके । अब, प्रदेश सरकार ने व्यापक जनहित में हवाई अड्डे के विस्तार के लिए प्रस्तावित दोनों चरणों के लिए भूमि अधिग्रहित करने का निर्णय लिया है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा जिला प्रशासन और अन्य हितधारक विभागों और एजेंसियों के माध्यम से पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग, बुनियादी ढांचे के निर्माण और अन्य गतिविधियों के लिए सक्षम ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित करेगा।

कांगडा जिला हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा तहसील के 10 मुहालों एवं शाहपुर तहसील के 4 मुहालों में (कुल 14 मुहाल) में प्रस्तावित 147.7587 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया नीचे दिये गये अधिनियम एवं नियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित की जानी है:-

(1) भू–अर्जन, पुर्नवासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार।

भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4 और हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आकलन नियम 2015 के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत भूमि अधिग्रहण शुरू करने से पहले एक सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि पर सामाजिक प्रभाव का आकलन करने के लिए संबंधित मुहालों और परियोजना प्रभावित परिवारों/आबादी के साथ परामर्श प्रक्रिया की गई। एस.आर. एशिया द्वारा तैयार की गई एस.आई.ए. रिपोर्ट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार से बताया गया है:–

• भूमि खोने वालों की गणना

•प्रभावित राजस्व गांवों (मुहालों) का सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल

•विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या

•प्रभावित होने वाली निर्मित संरचनाओं की संख्या और उनके उपयोग की प्रकृति

•हितधारिकों अर्थात परियोजना प्रभावित परिवारों और परियोजना प्रभावित लोगों की सूची

• महिला मुखिया परिवारों, भूमिहीन लोगों, बीमार और एकल सदस्यों जैसे कमजोर समूहों की सूची

• भूमि अधिग्रहण और परियोजना कार्यान्वयन के सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक प्रभाव की सीमा और तीव्रता पर आकलन

•सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी)।

2. विशेषज्ञ समूह का गठन

हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने अधिसूचना संख्या टीएसएम–एफ (6) –1/2015–पप–एल दिनांक 19.04.2023 (अनुलग्नक–1) के माध्यम से एक स्वतंत्र बहु–विषयक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। 1) कांगड़ा हवाईअड्डे के विस्तार के उद्देश्य से एसआईए टीम द्वारा तैयार की गई सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम 2013 की धारा 7 (1) में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार। विशेषज्ञ समूह में निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं:–

1. डॉ. संजय कुमार धीमान एच.ए.एस. उपायुक्त (आर एंड आर), राजा का तालाब, फतेहपुर जिला कांगड़ा, अध्यक्ष– बहु–विषयक विशेषज्ञ समूह और पुनर्वास विशेषज्ञ।
2. श्री बलवान चंद एच.ए.एस. संयुक्त सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार – पुनर्वास विशेषज्ञ।
3. प्रोफेसर विशाल सूद (सामाजिक शिक्षा)हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला,

जिला कांगड़ा (एचपी) गैर–सरकारी सदस्य और सामाजिक वैज्ञानिक।

4. डॉ.शशि पूनम, एसोसिएट प्रोफेसर (सामाजिक कार्य), हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (एचपी) गैर–सरकारी सदस्य और सामाजिक वैज्ञानिक

5. श्री विनोद कुमार पुनियाल, पूर्व महाप्रबंधक (आर्क) – तकनीकी विशेषज्ञ

6. प्रधान, ग्राम पंचायत गग्गल, तहसील एवं जिला कांगड़ा (हि.प्र.)–पंचायत के प्रतिनिधि

7. पंचायत एवं प्रधान, ग्राम पंचायत राछ्यालू, तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा (एचपी) – पंचायत प्रतिनिधि (अनुबंध 1)

3. विशेषज्ञ समूह का शासनादेश

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के 7(1) के तहत गठित विशेषज्ञ समूह को सामाजिक प्रभाव समीक्षा स्टडी के बाद निम्नलिखित अधिदेशों का आकलन करना चाहिए:

i)क्या परियोजना किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करती है?

ii). क्या संभावित लाभ सामाजिक लागत और प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव से अधिक हैं?

iii). क्या प्रभावी पुनर्वास योजना के साथ कम विस्थापित करने वाला अन्य विकल्प उपलब्ध है?

iv). क्या अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा है?

4. मूल्यांकन के लिए अपनाए गए पैरामीटर

4.1 परिचय

विशेषज्ञ समूह के पदाधिकारियों की तीन औपचारिक बैठकें हुईं, पहली बैंठक 12 मई 2023 को सुबह 11 बजे और 2 जून, 2023 को दो बैंठकें, क्रमशः11.30 बजे सुबह और दूसरी शाम 4 बजे धर्मशाला में आयोजित हुई, जिसमें एसआईए रिपोर्ट की सिफारिशों की जांच करने के लिए सदस्यों के बीच कुछ अनौपचारिक और गहनबातचीत हुई।

4.2 एस.आई.ए रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए मानदंड

विशेषज्ञ समूह ने उचित विचार–विमर्श के बाद एसआईए रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए

निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया :–

क) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की उपयुक्तता और पूर्णता

बी) एसआईए प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी की पारदर्शिता और गुणवत्ता की सीमा

ग) सामाजिक प्रोफाइल और सामाजिक संकेतक

घ) कमजोर समूहों की पहचान

ङ) सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) की प्रभावशीलता

च) जनता की धारणा और जनता की चिंताओं का निवारण

छ) जनहित को ध्यान रखा गया ।

ज) प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों की तुलना में सामाजिक लागतें

प) पुनर्वास और पुनव्यस्थापन और राहत पहलू

4.2 (अ) एसआईए अध्ययन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की उपयुक्तता और पूर्णता

सामाजिक प्रभाव आकलन का विस्तृत अध्ययन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे के अधिकार और पारदर्शिता का एक अनिवार्य घटक है।

भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की चैप्टर II और जारी 4(1) सामाजिक प्रभाव आकलन स्टडी (SIA) के अध्ययन के लिए डेटा प्रमाणीकरण के मामले में एक महत्वपूर्ण और व्यापक पूर्णता की आवश्यकता है। अत्यंत गहन, सावधानीपूर्वक और गहन मूल्यांकन के साथ गुणवत्ता, तकनीकी दस्तावेज के रूप में कार्य करने के लिए संतुलित और व्यापक विचारों की प्रस्तुति के आधार पर प्रस्तावित परियोजना के विकास के बारे में निर्णय लिए जा सकते हैं।

कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार पर एसआईए रिपोर्ट के अनुसार, एसआर एशिया की अध्ययन टीम ने आवश्यक जानकारी आधिकारिक रिकॉर्ड, हितधारकों के साथ विचार–प्ररामर्श ग्रामीण भागीदारी मूल्यांकन (पीआरए), डेस्क अनुसंधान, ग्राम स्तर का प्रोफार्मा, समूह–चर्चा के लिए शिक्षाप्रद संदर्भ तथा डेटा विश्लेषण ग्राम सर्वेक्षण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों (वे परिवार जो अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के पास रह रहे हैं और वे परिवार जिनकी जमीन खोने की संभावना है)। इसके अलावा, एसआईए टीम ने भूमि अधिग्रहण की जमीनी हकीकत का आकलन करने और ऐसे परिवारों पर सामाजिक प्रभाव दिखाने वाली एसआईए रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्षेत्र का दौरा भी किया।

उक्त अध्ययन के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण की समीक्षा करने के बाद विशेषज्ञ समूह की सुविचारित राय है कि अपनाई गई प्रक्रिया संपूर्ण, थी और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अधिनियम और नियमों में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप थी।

4.2 (बी) एसआईए अध्ययन में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी की व्यापक पारदर्शिता और गुणवत्ता

सामाजिक प्रभावों की तैयारी और मूल्यांकन के लिए भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) अभ्यास, सार्वजनिक परामर्श और केंद्रित समूह चर्चाओं के आयोजन के माध्यम से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। एसआईए दल ने प्रभावित क्षेत्रों में विस्तृत जन परामर्श किया था। वे परियोजना के संभावित नकारात्मक प्रभाव और भविष्य के लाभों से अवगत हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वे परियोजना के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सकें। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों और चिंताओं की प्रकृ

ति और उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से सामाजिक प्रभावों और पुनर्वास और पुनर्वास के सभी पहलुओं को शामिल किया गया। इसलिये विशेषज्ञ समूह एसआईए अध्ययन की प्रक्रिया पर अपनी संतुष्टि व्यक्त करता है।

4.2 (सी) सामाजिक प्रोफाइल और सामाजिक संकेतक

प्रस्तावित परियोजना हवाई अड्डे का विस्तार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में होना है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि क्षेत्र 147–75–87 हेक्टेयर होने का अनुमान है, जिसमें कुल 14 मुहाल (कांगड़ा तहसीलके 10 मुहाल और शाहपुर तहसील के 4 मुहाल) शामिल हैं।

अधिग्रहित की जाने वाली कुल प्रस्तावित भूमि 147–75–87 हेक्टेयर भूमि में से कुल 25–40–64 हेक्टेयर (16.99प्रतिशत)अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि सरकारी भूमि है तथा शेष 122–66–23 हेक्टेयर (83.01प्रतिशत) भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है।

प्रस्तावित 147–75–87 हेक्टेयर भूमि का उपयोग हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा–हवाई अड्डे के विस्तार के लिए किया जाना है।

इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश, विशेष रूप से कांगड़ा जिले में विमानन और पर्यटन नागरिक उड्डयन उद्योग को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

यह परियोजना कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने वाले स्वास्थ्य, योग, प्रकृति की सैर, और साहसिक और वन्यजीव पर्यटन का लाभ लेने के इच्छुक पर्यटकों के लिए किफायती हवाई–किराए के साथ निर्बाध, तेज और परेशानी मुक्त हवाई सेवाओं की पर्याप्तता सुनिश्चित करेगी।

परियोजना से स्थानीय यात्रियों, बीमार व्यक्तियों, व्यापारियों और छात्रों को लाभ होने की संभावना है। यह परियोजना उन बीमार रोगियों और उनके वार्डों को किफायती हवाई किराए

प्रदान करेगी जिन्हें आपातकालीन उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स नई दिल्ली जाने की आवश्यकता है। दूसरी और यह परियोजना छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करने और अंत में उन्हें प्रोजेक्ट निर्माण कार्य और संबद्ध गतिविधियों रोजगार प्रदान में शामिल करने में मदद करेगी। स्थानीय व्यवसायी और किसान भी अपनी फसल के साथ व्यापार केंद्रों और बाजारों में जाने के लिए कम किराए का उपयोग कर सकेगें।

सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अध्ययन से प्रतीत होता है कि परियोजना कांगड़ा अड्डा के विस्तारीकरण 147–75–87 हैक्टियर भूमि चिन्हित अनुमानित भी की आवश्यकता है।

सभी मौजूदा मंदिरों, घरों, वाणिज्यिक परिसरों, शैक्षिक भवनों, रेस्तरां, शाम घाटों, खेल के मैदानों, किसान–भवनों आदि को तोड़ना होगा और परियोजना क्षेत्र के माध्यम से बहने वाले छोटे नालों के साथ–साथ स्थानीय नाले मांझी–खड्ड को, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया विधिवत रूप से पूरी होने के बाद हवाई अड्डे के विस्तार का काम शुरू होने से पहले, ठीक से चौनलाइज किया जाएगा।

इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि एक प्रभावी विशिष्ट सामाजिक प्रभाव प्रबंधन व राहत एंव पुर्नावास योजना विकसित ताकि वैकल्पिक रोजगार विकल्पों के साथ विस्थापित परिवारों को सशक्त बनाने के लिए और उन्हें स्थायी आजीविका वनाने के लिए आवश्यक उपकरण व साधन प्रदान करके प्रतिकूल सामाजिक–आर्थिक प्रभावों के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।

4.2 (डी) असुरक्षित व कमजोर वर्गो की पहचान

एसआईए रिपोर्ट कमजोर (पी0ए0एफ0एस0) में असूरक्षित व कमजोर वर्गो जैसे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग, महिला प्रधान परिवार, एकल और वृद्ध लोग और भूमिहीन मजदूर आदि की पहचान हो, जो कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण अधिक प्रतिकूल प्रभाव का सामना करेंगे।

बहू आयामी विशेषज्ञ समूह कमजोर समूहों की पहचान के लिए किए गए प्रयासों से संतुष्ट है और सुझाव देता है कि राहत एंव पुनर्वास योजना इन कमजोर वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुनर्वास योजना के दौरान और संभावित सहायता प्रदान करने के लिए शमन उपायों के आवेदन के तहत उन पर विचार किया जाए, जैसा अपेक्षित निकाय की आर0 एंड आर0 नीति में वर्णित है।

4.2 (ई) सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एस0आइ0एम0पी0) की प्रभावशीलता

भूमि अधिग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एस0आई0ए0) एक आवश्यक घटक है। एस0आई0एम0पी0 में परियोजना के डिजाइन, निर्माण और परिचालन चरण के दौरान प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन्हें स्वीकार्य स्तरों पर क्षतिपूर्ती करने के लिए संस्थागत उपायों का एक सेट शामिल है। एस0आइ0एम0पी0 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जाए और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाया जाए।

कुल मिलाकर, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया एक सकारात्मक और प्रतिकूल प्रभावों की मिली–जुली कड़ी है, फिर भी इस परियोजना के सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभावों से कहीं अधिक है। समग्र परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, यह पाया गया है कि कांगड़ा हवाई अड्डे के प्रस्तावित विस्तार से कांगड़ा जिले के पूरे लोगों को लाभ होगा, विशेष रूप से वे जो हवाई अड्डे के आसपास रह रहे हैं। यात्रियों की संख्या में वृद्धि से पर्यटक का आवागमन बढ़ेगा, जिससे उनके लिए बेहतर और विश्वसनीय नौकरी के अवसरों, आजीविका और स्थानीय लोंगों की आय में वृद्धि होती है।

एस0आइ0एम0पी0 के हिस्से के रूप में सुझाये गए उपायों पर विचार करने के बाद, विशेषज्ञ समूह ने पाया कि सुझाई गई कटौती योजना में एस0आई0ए0 अध्ययन के एक भाग के रूप में पहचाने गए प्रभावों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

4.2 (एफ) सार्वजनिक धारणा और सार्वजनिक चिंताओं का निवारण

विशेषज्ञ समूह ने महसूस किया कि एसआईए अभ्यास के हिस्से के रूप में भूमि अधिग्रहण से पहले जनगणना और सार्वजनिक परामर्श किया गया, इसके अलावा फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन (एफजीडी) और पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल (पी0आर0ए0एस0) के अलावा समुदाय और परिवारों की धारणाओं और अपेक्षाओं को संलग्न किया गया, जिनके प्रभावित होने की संभावना हैं।

परियोजना के प्रभावों और अपेक्षाओं पर समुदाय की धारणा को हासिल करने के लिए,कांगड़ा जिले के 14 प्रभावित राजस्व गांवों में आयोजितं है। इन जनसुनवाईयों की संख्या और प्रसार से विशेषज्ञ समूह पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। के दौरान उभरे कुछ सामान्य मुद्दे इस प्रकार थे।

• ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के बाजार मूल्य दरों के अनुसार उच्चतम मुआवजा प्रदान करना और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के नियमों के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों, विषेशकर पूर्व मे हुये विस्थापनों से प्रभावित परिवारों अन्य लाभ प्रदान करना।

•RFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों, प्रभावित लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के कारण जल–भराव और बाढ़ की समस्या तथा साथ लगते नालों और मांझी खड्ड को एकीकृत जल प्रबंधन योजना तथा तटीकरण के माध्यम से व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

• परियोजना प्रभावित परिवारों प्रभावित लोगों को कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण एवं संबंधित गतिविधियों में उनकी योग्यता के अनुसार प्राथमिकता के अनुसार रोजगार प्रदान किया जाता है।

<u>सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन ने भी निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया–</u>

• "कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तारिकरण परियोजना" क्षेत्र में प्रभावित आबादी को बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ दीर्घकालिक और अल्पकालिक लाभ प्रदान करेगा और कांगड़ा में विमानन क्षेत्र और पर्यटन की सुविधा प्रदान करेगा।

बोरकवालू और लंज में हरित हवाई अड्डे के निर्माण व हवाई अड्डा को पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा व सराह धर्मशाला की ओर विस्तार का प्रस्ताव पर पहले विचार किया जाने और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बाधा स्तर सर्वेक्षण (ओ0एल0एस0) द्वारा सुझाए गए हवाई अड्डे का विस्तार अंतिम उपाय के रूप में अमल लाने का सुझाव प्रभावित परिवारों ने दिया है।

• यह परियोजना कांगड़ा के लोगों के स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर में सुधार करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित हवाई अड्डा कांगड़ा में विश्व स्तरीय विमानन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ बनेगा।

•बेहतर विमानन सुविधा उन पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए बहुत उपयोगी होगी जो कांगड़ा में धार्मिक और विरासत स्थलों और अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं।

•प्रस्तावित परियोजना से बीमार व्यक्तियों को भी लाभ होगा, जिन्हें गम्भीर बीमारी में पड़े शहरों में एयरलिफ्ट करने की जरूरत होगी और जिन्हें पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स नई दिल्ली जाने की जरूरत होगी। प्रस्तावित परियोजना से व्यवसायिक व्यक्तियों, किसानों और छात्रों को लाभ होगा जो विभिन्न जरूरतों के लिए किफायती हवाई किराए का लाभ उठा सकते हैं।

•कांगड़ा के शिक्षित एवं तकनीकी लोगों को परियोजना कार्य में रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

प्रस्तावित परियोजना कांगड़ा को नागरिक उड्डयन और पर्यटन क्षेत्र में एक उन्नत जिला बनाने और एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक प्रमुख उल्लेखनीय पहल है।

विशेषज्ञ समूह उपरोक्त पहलुओं पर एस0आइ0ए0 रिपोर्ट के हिस्से के रूप में की गई विभिन्न सिफारिशों से सहमत है और आगे सुझाव देता है कि 2013 अधिनियम के हिस्से के रूप में मुआवजा पैकेज उच्चतम होना चाहिए।

चूंकि भूमि एक महत्वपूर्ण भौतिक संपत्ति है और कृषि परियोजना क्षेत्र में आजीविका का एक मुख्य स्रोत है, इसलिए, निजी कृषि भूमि के नुकसान और परियोजना प्रभावित परिवारों और

परियोजना प्रभावित लोगों की आजीविका के नुकसान के लिए मुआवजे की लागत परियोजना के लिए मौजूदा अधिनियम के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि सैद्धांतिक रूप से भूमि अधिग्रहण को कम से कम रखना अनिवार्य होगा और अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए किसी भी सिफारिश से बचने की जरूरत है। हालांकि, वास्तविक माप और भूमि नामांतरण प्रक्रिया के स्तर पर यदि यह देखा गया कि अधिग्रहीत भूमि से सटे केवल छोटे पैच और खंडित भूमि को छोड़ दिया गया है और इसे परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा किसी उत्पादक उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो निकाय सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करके इसे प्राप्त करने पर विचार कर सकते है।

4.2 (जी) सार्वजनिक हित परोसा गया

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वासन अधिनियम, 2013 (RTFCTLARR अधिनियम, 2013) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार सार्वजनिक उद्देश्य के रूप में आठ प्रकार के भूमि अधिग्रहण को परिभाषित करता है, जिनमें से एक सरकार प्रस्तावित परियोजना हेतू भूमि अधिग्रहण और सरकारी सहायता प्राप्त बुनियादी ढांचा परियोजना द्वारा प्रशासित परियोजनाओं के लिए उडडयन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है। इस परियोजना का अपना महत्व है क्योंकि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार में प्रस्तावित विश्व स्तरीय एविएशन सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

इस प्रकार, विशेषज्ञ समूह का मानना है कि प्रस्तावित परियोजना अत्यधिक सार्वजनिक सेवा उद्देश्य की परियोजना है।

4.2 (ज) प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों की तुलना में सामाजिक लागतें

प्रस्तावित परियोजना पर्यटकों और स्थानीय बीमार व्यक्तियों, व्यापारियों, छात्रों, तीर्थयात्रियों के लिए किफायती हवाई किराए पर विमानन सुविधाएं लाएगी, जिन्हें व्यापार, शिक्षा और धार्मिक

यात्रा,स्वास्थ्य, जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए नई दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला आदि की यात्रा करने के लिए सस्ती हवाई सेवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता है। यह स्थानीय लोगों को बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करेगा और पर्यटन और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देकर उनकी आय में वृद्धि करेगा।

ऐसी भूमि के अधिग्रहण के लिए जिस पर मंदिर, शैक्षणिक संस्थान, वाणिज्यिक परिसर, बोर–वेल, कृषि भूमि, आदि या संबद्ध सुविधाएं स्थित हैं, वहां किसी भी तरह के परिवार को हटाने के लिये हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1951 और अन्य प्रासंगिक अधिनियमों का पालन सुनिशिचत करना होगा। इस संबंध में प्रभावित परिवारों की चिंताओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए जा सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार को कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रस्तावित परियोजना की किसी भी निर्माण गतिविधियों को शुरू करने के लिए भूमि पर निजी संरचनाओं को मंजूरी देने से पहले, परियोजना प्रभावित परिवारों (जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है) को उच्चतम मुआवजा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।

सरकार को बाहरी मजदूरों को लाने के बजाय सामग्री के रसद और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए स्थानीय समुदायों को विभिन्न कार्यों में नियोजित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए और परियोजना कार्य में विभिन्न कुशल और अर्ध–कुशल नौकरियों में परियोजना प्रभावित परिवारों को वरीयता देनी चाहिए। विशेषज्ञ समूह ने निष्कर्ष निकाला कि 2013 अधिनियम के हिस्से के रूप में एस0आई0एम0पी0 के कार्यान्वयन और भूमि मुआवजे के लिए अनुमानित सामाजिक लागत उक्त परियोजना के दीर्घकालिक लाभों की तुलना में बहुत कम होगी।

4.2 (आई) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन और राहत पहलू

भूमि, भू–स्वामियों के लिए एक बहुमूल्य संसाधन है और आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। किसी भी विकास कार्य को करने के लिए भूमि एक मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन, इस तरह की गतिविधियों के लिए भूमि के अधिग्रहण के

साथ, स्थानीय समुदायों की उनकी भूमि से विस्थापन प्रबल संभावना है, जिससे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवधान हो सकता है। हालांकि, किसी भी परियोजना में पुनर्वास की प्रक्रिया हमेशा प्रभावित लोगों के दर्द और सुख से जुड़ी होती है, क्योंकि इससे लाभ और नुकसान दोनों होंगे।

कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारिकरण से प्रभावित परिवारों को उनकी भूमि, घर और अन्य संरचनाओं के नुकसान के लिए नकद के रूप में मुआवजा केवल पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भूमि मालिक अपने लंबे जुड़ाव और निर्भरता के कारण अपनी भूमि से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। चूंकि पुनर्वास से लोगों के जीवन, व्यवसाय, जीवन–शैली, सामाजिक रिश्ते और सामाजिक समर्थन प्रणाली, आवास की स्थिति आदि के सभी प्रमुख निर्धारकों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन और प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधियों और क्षेत्र के अन्य हितधारकों के सहयोग से परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्वास (आर एंड आर) योजना तैयार की जानी चाहिए।

विशेषज्ञ समूह का सुझाव है कि आर एंड आर पैकेज में निम्नलिखित प्रावधान शामिल होने चाहिए।

- **मुआवजा**

भूमि–अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन व उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 के तहत परियोजना से दूरी के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भूमि मूल्य की गणना के लिए "कारक–दो"का उपयोग किया जाना चाहिए और शहरी के लिए भूमि मूल्य की गणना के लिए "कारक–एक" का उपयोग किया जाना चाहिए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उच्चतम मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।

- **शारीरिक पुनर्वास**

प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव यह है कि प्रस्तावित भूमि का उपयोग कृषि, बागवानी और संबद्ध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है जोकि घरों, पेड़ों, मंदिरों, किसान भवनों, आंगनबाड़ियों, श्मशान घाटों, सिंचाई चौनलों, कुक्कुट फार्मों, ट्यूब और बोर–वेल, बिजली के खंभों, रेस्तरां, वाणिज्यिक परिसर और दुकान, मकान, पुलिस थाना के भवन, स्कूल आदि, से ढकी हुई है। इसलिए संबंधित अधिनियम के तहत भौतिक पुनर्वास की आवश्यकता है।

आर्थिक पुनर्वास

(1) ईन्दरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास सुविधा, अनुसूचित जातिजनजाति को भूमि निर्वाह–भत्ता, परिवहन लागत, कृषिबागवानी गतिविधियों एवं गैर–कृषि आर्थिक गतिविधियों आदि के लिए अधिनियम के अनुसार प्रावधान किया जाए।

(2) अधिग्रहित की जाने वाली भूमि में लंबे समय से रह रहे भूमिधारक इसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। जनसुनवाई के दौरान भूमिधारकों व अन्य ने अपनी परियोजना से आजीविका, कारोबार और भावी जीवन को लेकर आशंकाओं को लेकर कई तरह की चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त की हैं। इसलिए, उनकी सभी आशंकाओं, चिंताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार की जानी चाहिए, क्योंकि प्रभावित परिवारों को सुनिश्चित आर्थिक और सामाजिक व्यवहार्यता प्रदान किए बिना उनका पुनर्वास करना उनके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

(3) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार सोलेटियम शुल्क।

सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट और सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत और विशेषज्ञ राय का मूल्यांकन

सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार का एक अनिवार्य घटक है।

RFCTLARR अधिनियम, 2013 के अध्याय 2 खंड की धारा 4(1) के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन (एस0आई0ए0) अध्ययन के लिए डेटा, प्रमाणीकरण के मामले में एक महत्वपूर्ण और व्यापक पूर्णता की आवश्यकता है। जो अत्यंत गहन, सावधानीपूर्वक और गहन मूल्यांकन

के साथ परियोजना प्रभावित परिवारों और स्थानीय लोगों द्वारा व्यक्त संतुलित और व्यापक विचारों की प्रस्तुति है।

उक्त विशेषज्ञ समूह की तीन औपचारिक बैठकें कीं, एक बैंठक 12 मई, 2023 को और 2 जून, 2023 को 2 बैठकें क्रमशः पहली बैंठक एक पूर्वाह्न 11.30 बजे और दूसरी शाम 4 बजे धर्मशाला में आयोजिक हुईं, जिसमें सिफारिशों, सामाजिक लागतों, प्रतिकूल प्रभावों और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की परियोजना–विस्तार पर तैयार सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट में निहित योजना तथा एस0आई0ए0 रिपोर्ट की सिफारिशों, परियोजना के लाभ और प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव पर व्यक्तिगत–राय और उप समूहों के इनपुट का विवरण निम्नानुसार हैः–

(1) **पुनर्वास–समूह की राय**

इस समूह का मत था कि परियोजना के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली कुल प्रस्तावित भूमि 147–75–87 हेक्टेयर आंकी गई है जो 14 मुहल्लों (कांगड़ा और शाहपुर तहसीलों के क्रमशः 10 और 4 मुहलों) में स्थित है तथा अनुमानित भूमि परियोजना के लिए न्यूनतम सीमा है। मुआवजे के भुगतान के संबंध में यह विचार किया गया कि परियोजना द्वारा प्रभावित परिवारों, प्रभावित लोगों को मुआवजे के लिए उच्चतम प्रावधान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन अधिनियम, 2013 और सभी में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार प्रस्तावित किया जाएगा। शिकायत निवारण तंत्र, स्वास्थ्य व पेयजल सुविधाएं, कौशल–विकास, अस्थायी आवास, अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति को भूमि आवंटन और विशेष रूप से महिलाओं, एकल और वृद्ध व्यक्तियों, महिलाओं के नेतृत्व वाले घरों और कृषि मजदूरों जैसे कमजोर व्यक्तियों पर आदि उपायों की प्रभावित परिवारालोगों पर प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए राहत और पुनर्वास योजना और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

(2) <u>सामाजिक वैज्ञानिकों की राय – समूह</u>

सामाजिक वैज्ञानिक–समूह की यह राय थी कि परियोजना क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल के बारे में सभी विवरण देने वाली एक सलाहकार एजेंसी एआर एशिया द्वारा एसआईए रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें अधिग्रहण पर कुल14 राजस्व गॉव में भूमिकी 11539 व्यक्ति (5801 पुरुष और 5738 महिलाएं) प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। इस उप–समूह के सदस्यों के अनुसार, एस0आइ0ए0 रिपोर्ट में परियोजना के अन्य पहलुओं के साथ–साथ परियोजना के प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यापक एस0आइ0एम0पी0 (सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना) शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि एसआईए अध्ययन के लिए प्रक्रिया की पूर्ण उपयुक्तता और पूर्णता, पारदर्शिता, हितधारकों की भागीदारी, कमजोर समूहों की पहचान आदि को अपनाया गया था। उक्त अध्ययन करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण की समीक्षा करने के बाद विशेषज्ञ समूह की यह सुविचारित राय थी कि अपनाई गई प्रक्रिया संपूर्ण और पूर्ण थी, नमूना आकार और डेटा विश्लेषण इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अधिनियम और नियमों में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप था।

3) <u>पंचायत प्रतिनिधि–समूह की राय</u>

जनप्रतिनिधियों के समूह की राय थी कि मांझी–खड्ड पर पुल के निर्माण के बाद एयरपोर्ट पोर्ट अथॉरिटी द्वारा बाधा स्तर के सर्वेक्षण के अनुसार प्रस्तावित मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार के परिणामस्वरूप लोंगों की आजीविका, सामाजिक ताना–बाना और व्यवसाय, बड़ी आबादी पर विस्थापन का बड़े पैमाने पर प्रभाव होगा। उन्होंने इस बाात पर जोर दिया परियोजना प्रभावित परिवारों और स्थानीय लोगों के सुझाव के अनुसार लंज और बोरकबाल नामक के वैकल्पिक स्थलों पर ग्रीन एयरफील्ड का निर्माण किया जाना चाहिए या पश्चिम से उत्तर की और सराह धर्मशाला की ओर मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार के विकल्प का पता लगाया जाना चाहिए। उनका यह भी विचार था कि एएआई के "श्बाधा सीमा सर्वेक्षण" के अनुसार मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार को अंतिम विकल्प के रूप में

लिया जाना चाहिए। इस विशेषज्ञ समूह द्वारा यह भी सुझाव दिया गया था कि हवाई अड्डे से 5 किलोमीटर के दायरे में और अधिमानतः उसी विकास खंड में स्थानीय लोगों की वाणिज्यिक और आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक उपग्रह–शहर की योजना बनाई जाए। उन्होंने संक्रमण काल में बिजली, पानी, चिकित्सा सुविधा, भोजन एवं महिलाओं के लिए अस्थाई शेड आदि की व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया। प्रधान ग्राम पंचायत रचियालु ने परियोजना में बेरोजगार व्यक्तियों, विशेषकर परियोजना प्रभावित परिवारों एवं स्थानीय क्षेत्र के युवाओं को कुशल एवं अर्धकुशल नौकरियों में लगाने की मांग की. पंचायत प्रतिनिधि समूह ने भी अपने ओपिनियन नोट/सुझाव सौंपे हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया है। (अनुबंध 3)

(4) <u>तकनीकी विशेषज्ञ की राय</u>

1. तकनीकी विशेषज्ञ ने स्पष्ट किया कि सुझाए गए स्थलों लंज और बोरकवालु में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का विस्तार पहली नजर में संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि वे स्थल केंद्रीय स्थान/हवाई अड्ड से काफी दूर स्थित थे और ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण में बहुत ज्यादा लागत, लागत, लंबी समय सीमा और बहु–एजेंसियों से गैर–आपत्ति मंजूरी के लिए कानूनी आवश्यकता है, जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी। उन्होंने गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर के जरिए स्पष्ट किया कि ऊंची पहाड़ियों से निकटता के कारण मौजूदा हवाई अड्डे का पश्चिम से उत्तर दिशा की सराह धर्मशाला की ओर विस्तार भी गैर–व्यवहार्य प्रतीत होता है। उन्होंने एक्सपर्ट ग्रुप के सदस्यों को समझाया कि उनका अंतिम मत था कि मंजी–खड्ड पर पुल के निर्माण के बाद मौजूदा हवाई अड्डे का विस्तार ही एकमात्र विकल्प था, क्योंकि उस प्रस्ताव को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा श्बाधा सीमा सर्वेक्षण और हवाई अड्डों के बाद तकनीकी रूप से मंजूरी दे दी गई थी। भारतीय विमाानन प्राधिकरण सभी प्रकार की हवाईअड्डा अवसंरचनाओं और रनवे ओरिएंटेशनध्संरेखण को अंतिम रूप देने वाली एकमात्र नोडल एजेंसी है। तकनीकी विशेषज्ञ ने यह भी बताया कि अगर लंज या बोरकबालू में एक ग्रीन एयरफील्ड प्रस्तावित किया गया था, तो गग्गल में स्थित मौजूदा हवाई अड्डे का कोई उपयोग नहीं होगा और यह बड़े जनहित के खिलाफ होगा।

5. विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें

सामाजिक प्रभाव आकलन की सिफारिशों का गहन अध्ययन तथा समूह के सदस्यों की विशेषज्ञ राय को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ समूह निम्नलिखित अवलोकन करता है :–

i) क्या परियोजना किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करती है?

प्रस्तावित परियोजना कांगड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देगी, और आसपास के स्थलों की यात्रा करने के इच्छुक पर्यटकों को धार्मिक, और विरासत पर्यटन, साहसिक पर्यटन, खेल पर्यटन, प्रकृति व वन्य–जीवन पर्यटन और स्वास्थ्य पर्यटन का लाभ उठाने वाले पर्यटकों को सस्ती और बेहतर विमानन सुविधाएं सुनिश्चित करेगी।

पर्यटन विभाग से परियोजना प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति में वृद्वि होगी। यह उन स्थानीय यात्रियों को सस्ती हवाई सेवाएं प्रदान करेगा, जिन्हें आपातकालीन स्थिति में अपने रिश्तेदारों को पीजीआई चंडीगढ़ और दिल्ली ले जाने के लिए हवाई सेवा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है,। हवाई अड्डे के विस्तार से व्यवसायियों और किसानों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने और कृषि उत्पादों को बेचने में मदद मिलेगी। यह परियोजना उन छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को लाभान्वित करेगी जो बाहर जाकर उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं और भारत के महानगरों और प्रमुख शहरों में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए, जाहिर तौर पर मौजूदा कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करती है।

ii) क्या परियोजना के संभावित लाभ सामाजिक लागत और प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव से अधिक हैं?

कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से बड़ी संख्या में ऐसे परिवार जिनके विस्थापित होने की संभावना है और जो वर्तमान में कांगड़ा जिले के शाहपुर और कांगड़ा तहसील के 14

राजस्व गांवों में रह रहे हैं उनकी आजीविका और व्यवसाय पर विस्थापन का प्रतिकूल प्रभाव होगा। हालांकि, विश्व स्तरीय विमानन बुनियादी ढांचे और बढ़ी हुई क्षमता के साथ 3010 मीटर लंबे रन वे के आने से एयर 320/330 आदि जैसे टर्बो फैन एयरक्राफ्ट को समायोजित किया जा सकेगा, जिसके कारण पर्यटकों, स्थानीय यात्रियों और छात्रों को किफायती और उचित हवाई किराए का लाभ मिलेगा। कांगड़ा में पर्यटकों की संख्या में बृद्धि से रोजगार के बेहतर अवसर और स्थानीय लोगों के लिए बेहतर आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि परियोजना के संभावित लाभ सामाजिक लागत और प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव से कहीं अधिक हैं।

iii) क्या प्रभावी राहत और पुनर्वास योजना के साथ कम विस्थापित करने वाला अन्य विकल्प उपलब्ध है?

विशेषज्ञ समूह ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि परियोजना से प्रभावित परिवारों लोगों के सुझाव के अनुसार लंज और बोरकवालू में ग्रीन–हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के सुझाव को तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया, क्योंकि सुझाए गए दोनों स्थल केंद्रीय स्थान मौजूदा हवाई अड्डे से काफी दूर हैं और विश्व स्तरीय विमानन अवसंरचना के साथ एक ग्रीन एयरफील्ड हवाई अड्डा स्थापित करने में भी भारी लागत आएगी और कई एजेंसियों से विभिन्न मंजूरी और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में वर्षों लगने की संभावना है। और, जहां तक मौजूदा हवाई अड्डे को पश्चिम से उत्तर की ओर धर्मशाला–सराह की ओर विस्तारित करने के प्रस्ताव का संबंध है, यह प्रस्तावित पहाड़ों की तलहटी में बसे होन के कारण भूमि मौजूदा कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए व्यवहार्य और उपयुक्त नहीं है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए गठित विशेषज्ञ समूह के तकनीकी विशेषज्ञ सदस्य ने लंज और बोरकवालू में ग्रीन एयरफील्ड के निर्माण के साथ–साथ हवाई अड्डे के पश्चिम से उतर दिशा से सराह–धर्मशाला की और हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के प्रस्ताव को व्यावहारिक नहीं माना। परन्तु वर्तमान हवाई अड्डे के विस्तारीकरण जो झोकी खड्ड के निर्माण के बाद होने वाले

विस्तारीकरण के प्रस्ताव को ही उपयुक्त पाया क्योंकि इस प्रस्ताव को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित किया है। क्योंकि यह संस्था विमानन अवसंरचनाओं या रनवे संरेखण को स्पष्ट अनुमोदित करने वाला एकमात्र नोडल निकाय हैं। तथा इस बिंदु को पर्यटन और नागरिक उड्डयन द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को उनकी संख्या टी0 एस0 एम0– एफ0 6–2015, दिनांक 24.05.2023 के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया था। इसलिए, विशेषज्ञ समूह ने नोट किया कि प्रभावी आर एंड आर योजना के साथ कोई भी अन्य विस्थापन–विकल्प उपलब्ध नहीं था जिसे उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए चुना जा सकता है। इसलिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव की तकनीकी मंजूरी के अनुसार मांझी खड्ड पर एक पुल का निर्माण करने के बाद मौजूदा कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार करने का प्रस्ताव ही एकमात्र विकल्प बचा है।

iv) क्या अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा है?

विशेषज्ञ समूह ने यह भी नोट किया कि 14 चिन्हित राजस्व गांवों में अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित सरकारी और निजी भूमि की मात्रा, आवश्यक भूमि की न्यूनतम सीमा थी और इसका अधिग्रहण करने से बचा नहीं जा सकता है। अगर लोग परियोजनाओं के काम के लिए अपनी जमीन देंगे, बशर्ते कि उन्हें उनके नुकसान का पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार और हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आकलन नियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवार/परियोजना प्रभावित लोग पी0ए0एफ0एस0 का उचित पुनर्वास और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार 147–75–47 हेक्टेयर होना परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा है।

6 निष्कर्ष

परियोजना के सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट (SIA Report) का विस्तृत मूल्यांकन और मूल्यांकन करने के बाद, बहु–आयामी विशेषज्ञ समूह ने यह निष्कर्ष निकाला और सिफारिश की कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से विश्व स्तरीय विमानन बुनियादी ढांचा तैयार होगा और पर्यटन क्षेत्र और संबद्ध गतिविधियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। जिससे कांगड़ा जिला की अर्थव्यवस्था और स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और इस प्रकार प्रस्तावित परियोजना ने सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा किया। दूसरे, प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव और प्रतिकूल सामाजिक लागतों के बावजूद, संभावित लाभों ने उन्हें पछाड़ दिया।

विशेषज्ञ समूह ने सुझाव दिया कि परियोजना के निष्पादन से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव और सामाजिक लागत को सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना और राहत और पुनर्वास योजना में सुझाए गए उपायों से कम से कम से कम किया जाना चाहिए, जो कि अनुमानित प्रभावित परिवारों की चिंताओं और आशंकाओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करें। इसलिए यह सिफारिश की गई थी कि राहत और पुनर्वास योजना में परियोजना प्रभावित परिवारों/परियोजना प्रभावित लोगों के लिए उच्चतम मुआवजा पैकेज का प्रावधान होना चाहिए, जिसमें वे परिवार भी शामिल हैं जो किसी न किसी परियोजना के कारण पहले विस्थापित हुए थे। इसके साथ ही पहचान किए गए कमजोर व्यक्तियों को सर्वोत्तम समर्थन और आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए जो उन्हें विस्थापन के बाद एक सम्मानित जीवन जीने में मदद कर सके। विशेषज्ञ समूह ने प्रभावी राहत और पुनर्वास योजना के साथ वैकल्पिक साइटों और कम विस्थापित विकल्प की भी व्यापक जांच की और निष्कर्ष निकाला कि लंज और बोरकबालू नामक सुझाए गए स्थलों पर एक हरित हवाई अड्डे के निर्माण, गैर–आपत्ति प्रमाणपत्रों की कानूनी आवश्यकता के कारण, पहली बार में व्यवहार्य नहीं कई एजेंसियों से मंजूरी, पृथक स्थान, वर्तमान हवाई अड्डे से लंबी दूरी, 10–15 साल की लंबी समय सीमा और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मंजी खड्ड पर एक पुल के निर्माण के बाद मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए प्रस्तावित परियोजना को दी गई मंजूरी जो

कि सभी प्रकार के रनवे संरेखण और विमानन अवसंरचना को तकनीकी स्वीकृति देने वाली एकमात्र और नोडल एजेंसी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेषज्ञ समूह ने नोट किया कि यदि सुझाए गए स्थलों पर एक ग्रीन एयरफील्ड प्रस्तावित किया गया था, तो गग्गल में स्थित मौजूदा हवाई अड्डा किसी उपयोग और सार्वजनिक उपयोगिता का नहीं होगा। मौजूदा हवाई अड्डे को पश्चिम से उत्तर की ओर सराह–धर्मशाला की ओर विस्तारित करने का सुझाव पहाड़ियों की निकटता के कारण अव्यावहारिक प्रतीत हुआ। इस प्रकार, विशेषज्ञ समूह ने नोट किया कि प्रभावी आर एंड आर योजना के साथ कोई कम विस्थापन स्थल उपलब्ध नहीं था इसलिए मांझी खास में एक पुल के निर्माण के बाद मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार के प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने का एकमात्र विकल्प बचा है, जैसा कि हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया गया था। विशेषज्ञ समूह की यह भी राय थी कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित कुल 147–75–87 हेक्टेयर भूमि परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम न्यूनतम सीमा है और प्रस्तावित भूमि पर कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से विश्व स्तरीय विमानन बुनियादी ढांचा तैयार होगा और पर्यटन बढ़ावा मिलेगा पर्यटन क्षेत्र और संबद्ध गतिविधियों से बड़े पैमाने पर कांगड़ा अर्थव्यवस्था और स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, हालांकि, पंचायत प्रतिनिधियों की राय, नोट और सुझाव, विशेष रूप से, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय लोगों की वाणिज्यिक और आवासीय जरूरतों को पूरा करने वाले उपग्रह नगर (satellite town) जो मौजूदा हवाई अड्डे से 5 कि.मी. की परिधि में हो। (अनुबंध–3)

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अंततः बहुआयामी विशेषज्ञ समूह को अनुमोदित द्वारा भरतीय विमाप पतन प्राधिकरण(Airport authority of India) मांझी `खड्ड पर पुल बनाने और वर्तमान हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के प्रस्ताव की परियोजना की सिफारिश करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि जनहित के विचारों को पूरा करने के अलावा, इसके संभावित लाभ सामाजिक लागतों और सामाजिक प्रभावों से अधिक होंगे।

Dr Sanjay Kumar Dhiman (HAS)
DC R&R Raja Ka Talab, Fatehpur,
Chairman – Expert Group

Sh. Balwan Chand (HAS)
Joint Secretary (Revenue) to the Govt.
Dharamsala
Expert on Rehabilitation

Prof. Vishal Sood
Professor of Education, Central University of HP,

Social Scientist

Dr. Sashi Poonam

Associate Professor Social Work, Central
4,
University of H.P, Dharamsala
Social Scientist

Sh. Vinod Kumar Puniyal Ex. GM (ARCH)

Delhi Add. : D 102 Ishwar Apartments, Plot. No-

Sector-12 Dwarka, New Delhi-110078.
Technical Expert

Pradhan Gram Panchayat Gaggal
Tehsil & District Kangra (H.P.)

Pradhan Gram Panchayat Rachhyalu
Tehsil Shahpur, District Kangra (H.P.)

Annexure 1

(Notification constituting the Expert group)

Government of Himachal Pradesh
Department of Tourism & Civil Aviation

No. TSM-F(6)-1/2015-II-I. Dated: Shimla-02, 19.04.2023

NOTIFICATION

In Exercise of the powers conferred upon him under Section 7 (1) of the Right to Fair Compensation and Transparancy in Land Acquisiton, Rehablitation and Resettlement Act, 2013, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the Multidisciplinary Expert Group for appraisal of Social Impact Assessment report relating to the acquisition of land for the expansion of Kangra Airport as under:-

Chairperson	The Deputy Commissioner (R&R), Raja-ka-Talab, Fatehpur District Kangra
(a) Two non official social Scientist;	1. Prof. Vishal Sood, Professor of Education, Central University of H.P. Dharamshala District Kangra. (HP). 2. Dr. Sashi Poonam, Associate Professor Social Worker, Central University of H.P. Dharamshala District Kangra (H.P).
(b) Two representative of Panchayat;	1. Pradhan, Gram Panchayat Gaggal, Tehsil & District Kangra (H.P). 2. Pradhan, Gram Panchayat Rachhyalu, Tehsil Shahpur District Kangra (H.P).
(c) Two experts on rehabilitation;	1. Sh. Sanjay Dhiman, HAS, Deputy Commissioner (R&R) Raja-Ka-Talab, Fatehpur, District Kangra, (HP). 2. Sh. Balwan Chand, HAS, Joint Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh.
(d) Technical expert in the subject:	Sh. Vinod Kumar Puniyal, Ex. GM (Arch.) **Delhi Address:** D 102, Ishwar Apartments, Plot No.-4, Sector-12 Dwarka, New Delhi-110078. **Himachal Address:** Village Bhajlah, PO Ludder Mahadev, Tehsil Bhoranj District Hamirpur (HP)-176045

The aforesaid Expert Group will act as an independent multi-disciplinary group, to evaluate the Social Impact Assessment report submitted by the Social Impact Assessment Unit for carrying out the purposes of the Act ibid of the Project i.e. expansion of Kangra Airport in District Kangra. The Expert Group shall make specific recommendations within two months from the date of its constitution, to the Government as

provided under sub-section (4) & (5) of Section 7 of the Right to Fair Compensation and Transparancy in Land Aequisiton, Rehablitation and Resettlement Act, 2013.

The Department of Tourism &CA shall bear the TA/DA and sitting expenses of the members.

By Order

Devesh Kumar
Principal Secretary (Tourism & CA) to the
Government of Himachal Pradesh.
19.04.2023

Endst. No.:As above Dated:Shimla-02,

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Chairman, Airport Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, New Delhi-110001.
2. All the Addl. Chief Secy/Pr. Secy./Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-02.
3. All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
4. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
5. The Settlement Officer, Kangra Division.
6. The D.L.R-cum-Deputy Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh-2.
7. All the SDO(C), Tehsildars in Himachal Pradesh.
8. The COC (Tehsildar) to the Financial Commissioner (Appeals) Himachal Pradesh, Shimla-02.
9. Guard file.

(Vijay Kumar)
Special Secretary (Tourism & CA) to the
Government of Himachal Pradesh

Annexure-2

No. TSM-T(6)-1/2015-II-L
Government of Himachal Pradesh
Department of Tourism & Civil Aviation

From

Pr. Secretary (Tourism & CA) to the
Government of Himachal Pradesh

To

Dr. Sanjay Kumar Dhiman
DC R&R Raja-Ka-Talab-cum-Chairman
Multi Disciplinary Expert Group
Raja-ka-Talab, Tehsil Fatehpur, Kangra (HP)

Dated: Shimla-02, 24.05.2023

Subject:- **Constituting the Multi-Disciplinary Expert Group to Evalute the Social Impact Assessment Report of the project Expansion of Kangra Airport and providing Feasibility Report and Environment Impact Assessment study.**

Sir,

I am directed to refer to your letter No. DCR-Kgo.650 dated 12.05.2023 on the subject cited above and to inform you that as per the applicable provisons of the 'Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Expert Group constituted under Sub section (1) of Section-7 shall make its recommendations within two months from the date of its constitution strictly in accordance with the Sub-section (either 4 or 5) of Section-7 in writing with details and reasons for such decision.

Your attention is also drawn towards the Section-6(2) of the 'Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, which clearly indicates that wherever Environment Impact Assessment is carried out, a copy of the Social Impact Assessment report shall be made available to the Impact Assessment Agency authorized by the Central Government to carry out Environmental impact assessment. There is no provision to provide EIA report to the Expert Group.

So far as the issues of changing of the alignment of the Airport and to explore the Greenfield Airport are concerned, the comments as received from WAPCOS (PSU under the Ministry of Water Resources) are reproduced here as under:-

- *"Scope of present project is "preparation of Techno Economic Feasibility report for Expansion of Kangra Airport". As per point raised in meeting regarding changing alignment of runway, we would like to firmly put that Airport Authority of India, which has expertise in planning civil aviation infrastructure in India and is Nodal and only*

Office of the
Deputy Commissioner, R&R
Raja Ka Talab, Tehsil Fatehpur
Diary No. 1062
Dated 30-5-2023

Agency to finalize runway alignments, has already thoroughly analyzed various possibilities for the expansion of Kangra Airport runway by conducting Obstacle & Limitation Survey (OLS) and keeping in mind toipographical features and technical aspects.

- *Multiple options were explored by AAI considering the technical feasibility and topographical conditions of site. After that, runway extension towards runway 33 side has been proposed finalized and has been conveyed to authorities which serves as the basis of the current preparation of TEFR. Runway extension in direction of runway 15 has not been recommended by AAI.*
- *For construction of any Greenfield Airport in Kangra, no land is readily available. It will not only cost huge amount in tune of thousands of crores but will require various special permissions considering the fact there is already an existing Airport in Kangra.*
- *Kangra Airport is a functional Airport and expansion of present Airport will suffice the requirements of the State. Considering these points, it is hereby advised that expansion of present airport at Kangra will be better option technically as well as financially."*

You are, therefore, requested to evaluate the SIA report as prescribed in the said Act and submit your recommendation to this department within the prescribed time limit.

Yours faithfully,

(Vijay Kumar)
Special Secretary (Tourism & CA) to the
Government of Himachal Pradesh

Dated: Shimla-02,

Endst. No. : As above
Copy for information and necessary action is forwarded to the Director, Tourism & Civil Aviation, Himachal Pradesh, Shimla-09.

Special Secretary (Tourism & CA) to the
Government of Himachal Pradesh

Annexure 3.

सेवा में

डी.सी. (आर-आर) और
चेयरमैन एयरपोर्ट कमेटी
कांगड़ा

विषय :- गगल एयर पोर्ट के विस्तारीकरण के संबंध में दूसरी साइट्स पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के संबंध में।

महोदय :-

(1) विस्थापन की जद में आने वाले ~~बा~~ तमाम 15000 हजार लोगों का यह मत है कि सरकार को 'SIA' तथा व लोगों द्वारा सुझाई गई दूसरी जगहों जैसे जैन व बोह स्वालू में और मौजूदा हवाई अड्डे के उत्तर-पश्चिम की ओर पट्टी को ले जाने वाले विकल्प पर निश्चित तौर पर सरकार को विचार करना चाहिए, काम करना चाहिए।

(2) हम चाहते हैं कि इन जगहों में विस्थापन व आर्थिक दोनों ही पहलू गगल से कम तर होंगे यह वहां पर विस्थापन न के बराबर है और जगह इतनी है कि पट्टी 3 क्या आप 5 से 7 किलोमीटर तक बना सकते हैं।

Reena Pathania
Pradhan Gaggal G.P
Member Expert Group
[illegible]

Pathania

(3) अगर यहां पर पट्टी बनती है तो भविष्य में भी विस्तार की बड़ी संभावना है। स्थर्च भी कम है क्योंकि विस्थापन 0 के बराबर है। जमीन वहां कि कुछ नहीं है, नहीं कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। यहां पर खेती भी 0 के बराबर है।

(4) अगर इस विकल्प पर विचार करते हैं तो लोग व बॉड़कवाल् बाल एरिया, जो कि बिल्कुल पिछड़ा हुआ है वह भी भविष्य में Develope होगा, जबकि गगल में विस्तार करने से एक बना-बनाया विकसित क्षेत्र बरबाद हो जाएगा, अत्यधिक उपजाऊ जमीन हमेशा के लिए चली जाएगी।

(5) गगल में 15000 लोग विस्थापित हो रहे हैं, लोगों की तीनों चीजें- घर, रोजगार, खेती सब जा रहे हैं। लोग फिर से 1947 के बाद के जैसे जीरो (·) के हालात पर पंहुच जाएंगे।

(6)

Abhi[illegible]

अगर किन्ही कारणों से मगल का विस्थापन
होता है, तो यहां के सभी लोगों ~~[illegible]~~ साथ
~~एक~~ व्यावसायिक व घरेलू तौर पर एक
जगह पर 'सेटेलाइट टाउन' बनाया जाए, जो
स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बने और इसकी
~~[illegible]~~ स्थापना ब्लाक धर्मशाला में ही की
जाए, क्योंकि वर्तमान में मगल ब्लाक धर्मशाला
में है तथा यहां के लोग धर्मशाला के आस
पास ही रहना चाहते हैं। 5 K.M. के दायरे
में ही।

[signature]
Group of Expert Member

सेवा में

DC R&R
मल्टी डिसिप्लेनरी एक्सपर्ट ग्रुप

विषय :- गगल एयरपोर्ट सम्बन्धी विस्तारीकरण के बारे में सुझाव

महोदय,

आपसे विनम्र निवेदन है कि सरकार से आग्रह किया जाए कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण विकास के नजरिए से उचित तो है परन्तु इससे गरीब जनता पर पड़ने वाले प्रभाव इससे कहीं ज्यादा है। हमारी पहली मांग है कि

1) एयरपोर्ट को कहीं और शिफ्ट किया जाए। न होने की अवस्था में
2) सही मुआवजा दिया जाए (factor-II के तहत)
3) हर परिवार को 1-1 कनाल भूमि आवंटित की जाए।
4) Rehablitation village बसाया जाए।
5) प्रभावित परिवार के हर एक व्यक्ति को एयर पोर्ट अथौरिटी मे सरकारी नौकरी दी जाए।
6) जमीन 4-5 K.M. के दायरे मे दी जाए।
7) सामाजिक सुरक्षा दी जाए।
8) बिजली, पानी, सड़क, हॉसपिटल की व्यवस्था उचित हो
9) प्रभावित परिवारो के बच्चों को उच्च शिक्षा मे रियायत दी जाए
10) Medical emegency में flight सुविधा दी जाए,
11) सर्वे किया जाए कि SC community के पास कितनी जमीन है ~~उसी के अनु.~~ क्या उसे स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई प्लान है। वह दिखाया जाए। व जनता को लिखित रूप मे आश्वस्त किया जाए।
12) ग्राम पंचायत रछियालू में अपनी कई कनाल सरकारी भूमि खाली पड़ी है अतः पंचायत के प्रभावित परिवारों को वहां पर बसाया जाए। ताकि लोग सामाजिक असुरक्षा का भय न रहे।
13) रछियालू पंचायत मे satllite ~~village~~ township बसाया जाए। for the best possible results

[signature]
member Expert Group